झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

संख्या–145/220600106/जे.डी.ए./तलपट मानचित्र–(2012–13) दिनांक मई/16, 2012

सेवा में,

मदाकिनी स्टेट प्रा. लि. एवं
बसेरा बिल्डर्स झांसी।

विषयः– तलपट मानचित्र संख्या–220600106 की स्वीकृति के संबध मे।

महोदय,

आप द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र संख्या 220600106 असंख बसेरा सिटी के नाम से तहसील झांसी के मौजा बूढ़ा भौजला में आवासीय योजना को विकसित करने के लिए दिनांक 14.02.2008 को स्वीकृत किया गया था। उक्त मानचित्र में विचलन प्रस्तावित करते हुए दिनांक 16.04.2010 को आपके द्वारा संशोधित मानचित्र स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसमें उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण करते हुए आपके द्वारा पुनः प्रस्तुत किये गये संशोधित तलपट मानचित्र पर उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी महोदय के आदेश दिनांक 14 मई, 2012 के अन्तर्गत कतिपय शर्तो के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गयी हैं, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक हैं :–

1. समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत किये गये आदेशों तथा निर्धारित की गयी नीतियों का पालन करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
2. सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदान की गयी अनापत्ति प्रमाण पत्र में लिखित शर्तो को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता का होगा।
3. योजना के मध्य आने वाली ग्राम सभा की भूमि पर किसी प्रकार का अतिकमण नहीं होना चाहिए तथा न ही किसी चक रोड को बन्द किया जायेगा।
4. विकास कार्यो से सम्बन्धित सभी कार्यो के सर्विस प्लान प्रस्तुत करें।
5. मानचित्र में दर्शाये गये समस्त आन्तरिक विकास कार्यो के आगणन प्रस्तुत करें।
6. आन्तरिक विकास कार्यो के आगणन की कुल धनराशि के 25 प्रतिशत धनराशि के समतुल्य नगद/बैंक गारन्टी/भूखण्ड बन्धक रखने होगें।
7. निरीक्षण शुल्क रू. 5,604.00 प्राधिकरण कोष में जमा करें।
8. बढ़े हुए क्षेत्रफल पर बाह्य विकास शुल्क रू. 1,68,115.00 प्राधिकरण कोष में जमा करें।
9. अवशेष बाह्य विकास शुल्क (अवशेष किश्ते ब्याज सहित) रू. 2,38,70,128.00 प्राधिकरण कोष में जमा करें।

उपरोक्त औपचारिकताएं पूर्ण कराकर तलपट मानचित्र निर्गत करने के लिए अनुबन्ध हेतु स्टाम्प प्रस्तुत करें।

सचिव
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी
16-05-12

KK GAUTAMI

[redacted]

NO OBJECTION CERTIFICATE

(Sudeep Singh)
Colonel
Base Commander

CFN : 03116/AA/AVN
664 Army Avn Sqn (R&O)
PIN - 925664
C/o 56 APO

10 Feb 2009

Distribution

M/S Madakinee Estate Private Limited - by post.
118, Upper First Floor,
Prakash Deep Building,
7, Tolstoy Marg
New Delhi – 110011

M/S Basera Builders - by hand.
Basera Complex
Infront of Nagar Nigam Gate
Civil Lines, Jhansi (UP)

Jhansi Development Authority - by hand.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड
[redacted] र रोड झाँसी (उ0प्र0)।
उ0 प्र0

4978 / कार्य-4 / 382 दिनांक 07/09/2007

अंसल बसेरा बिल्डर्स,
सिविल लाइन,
झाँसी।

अंसल बसेरा सिटी हेतु पानी की आपूर्ति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 17.08.2007 के सम्बन्ध में सूचित करना है कि ग्राम ... भोजला में प्रस्तावित कालौनी 'अंसल बसेरा सिटी' हेतु 2000 किली. पानी की माँग को आगामी ...ना में सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त कालौनी को जलापूर्ति करने में जल निगम को कोई ... नहीं होगी।

भवदीय

(ए.के. तिवारी)
अधिशासी अभियन्ता

के द्वारा शासनादेश संख्या: 436/62-1-2004/863/98 दिनॉक 25-4-2004 के अनुसार धनराशि रू0 5000/- इस विभाग के खाते में दिनॉक11-5-11 को जमा करा दी गयी है अतः अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

1- प्रस्तावित निमार्ण कार्य पूर्ण हो जाने पर भूजल रिचार्जिंग हेतु निर्माण कराये गये रूफ टाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निरीक्षण विकास प्राधिकरण तथा भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम के द्वारा किया जाएगा।

2- फिल्टर का सही उपयोग किया जाए तथा किसी भी हाल में पोल्यूटेड व गन्दा पानी अथवा सीवर इत्यादि का पानी रिचार्ज न कराया जाये। फिल्टर मेटेरियल की सफाई प्रति वर्ष कराई जाए।

3- प्रस्तावित मानचित्र में RWH-7 सीवेज ट्रीट्मेन्ट प्लान्ट के अत्यधिक पास है अतः RWH-7 एवं सीवेज ट्रीट्मेन्ट प्लान्ट के मध्य कम से कम 100 मी0 की दूरी अवश्य रखी जाय।

4- सम्बन्धित फर्म को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण में तकनीकी मार्ग दर्शन की आवश्यकता होने पर भूगर्भ जल विभाग के द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(त्रिभुवन)
सीनियर जियोफिजिसिस्ट

पत्रांक: /भू0ज0वि0ख0(जियो0)/आर-6ए/झॉसी/तदिनॉक

प्रतिलिपि:- सचिव, झॉसी विकास प्राधिकरण, झॉसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(त्रिभुवन)
सीनियर जियोफिजिसिस्ट

पर्यावरण
PARYAVARAN

Jhansi NoC

Ph/Fax . 0510-2320473 (O)
E-mail : rojhansi@uppcb.com

क्षेत्रीय कार्यालय उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. [redacted]

संदर्भ सं0 ....
Ref. No. ....
1526 / JA-350 / NOC / 12

दिनांक..........20
Date..........20
06 / 11 / 12

सेवा में,
मै0 अंसल बसेरा सिटी
ग्राम–बूढ़ा, कानपुर बाईपास रोड,
झाँसी।

विषयः पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने आवेदन पत्र दिनांक–27.10.2012 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में आपकी कालोनी का निरीक्षण कार्यालय द्वारा दिनांक–07.12.2012 को किया गया। आख्यानुसार आवासीय कालोनी के भूखण्डों के विकास सम्बन्धी कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। कार्यालय द्वारा पूर्व में अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या–1419/जे.ए.–350/एनओसी/2009 दिनांक–07.3.2009 के माध्यम से दो वर्ष की वैधता अवधि हेतु जारी किया गया था।

अतः आपके अनुरोध एवं निरीक्षण आख्या के अनुसार उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि दिनांक–06.3.2011 से तीन वर्ष हेतु बढ़ायी जाती है। साथ ही अवगत कराना है कि कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित नियम एवं शर्ते यथावत रहेंगी। आप द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी संख्या 4196ILG0018/09 दिनांक–28.02.2009 रूपये 600,000.00 (रू0 छः लाख मात्र) वैधता अवधि–31.12.2013 की वैधता अवधि दिनांक–31.12.2015 तक बढ़वाकर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय
(राम गोपाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

C:\Documents and Settings\paras\My Documents\new jen d s c doc

... आवश्यकतानुसार उपयुक्त पद्धति का प्रावधान किया गयाहै ,तथा आप केद्वारा शासनादेश संख्या: 436/62–1–2004/863/98 दिनॉक 25–4–2004 के अनुसार धनराशि रू0 5000/– इस विभाग के खाते में दिनॉक 28–11–13 को जमा करा दी गयी है। अतः भूजल उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है।

1– प्रस्तावित आवासीय परिसर में भूजल रिचार्जिंग हेतु रूफ टाप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कराया जाए।

2– फिल्टर का सही उपयोग किया जाए तथा किसी भी हाल में पोल्यूटेड व गन्दा पानी अथवा सीवर इत्यादि का पानी रिचार्ज न कराया जाये। फिल्टर मेटेरियल की सफाई प्रति वर्ष कराई जाए।

3– सम्बन्धित फर्म को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम निर्माण में तकनीकी मार्ग दर्शन की आवश्यकता होने पर भूगर्भ जल विभाग के द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(दया राम)
Senior Geophysicist
Ground Water Department
Geophysicd Survey Div. Jhansi

Date: 16/10/2013

To,

The Divisional Forest Officer,
Civil Lines,
Jhansi

Subject : <u>Clearance / NOC from the Forest Department, JHANSI</u>

Dear Sir,

We have an upcoming project namely 'Ansal Basera City' on Kanpur Bypass Road, Jhansi. We are enclosing a copy of the plan sanctioned by JDA for ready reference. We had approved the concerned department for obtaining Environmental Impact Assessment clearance. This meeting was held on 30/09/2013 at Lucknow. As desired in the above referred meeting, we hereby apply for obtaining clearance from your department for our said project.

Early action in this regard would be highly appreciated.

Thanking you,

Yours faithfully

(Authorised Signatory)

Encl :

1) Photocopy of Layout plan
2) Khatonis photocopy
3) Khasra plan

Received

(उप प्रभागीय वनाधिकारी)
प्रशासनिक अधिकारी
झाँसी वन प्रभाग, झाँसी

NOC from fire dept - ABC

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी झाँसी

पत्र संख्या - सि.अग्नि./एन.ओ.सी./2006-07 दिनांक - 12/9/2006

सेवा में,

प्रबंधक
अनंत बसेरा
गृह एवं भोजना झाँसी

विषय- 'अनंत बसेरा' प्रस्तावित कालोनी गृह एवं भोजना गाँव हेतु अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने विषयक है।

महोदय, श्री कपिल तिवारी प्रोजेक्ट मैनेजर वाले अनंत बसेरा, गृह एवं भोजना गाँव में प्रस्तावित कालोनी झाँसी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 28/8/2006 द्वारा गृह एवं भोजना गाँव में प्रस्तावित कालोनी को निर्मित करने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके क्रम में अग्नि शमन अधिकारी [illegible] मानचित्र के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि कोण से निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण के दौरान स्थल पर [illegible] पाई गई है जो अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से मानक के अनुसार सही पायी गई। तथा प्रस्तुत कर्ता प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कालोनी का निर्माण हो जाने के पूर्व अग्निशमन पूर्ण व्यवस्था करके अग्नि शमन अधिकारी झाँसी से निरीक्षण करा ले।

अतः उक्त आवेदक के प्रस्तावित कालोनी अनंत बसेरा गृह एवं भोजना गाँव हेतु आख्या सेवा में प्रेषित है।

(हस्ताक्षर) 12/9/06
(महावीर सिंह)
अग्नि शमन अधिकारी
झाँसी (उ०प्र०)

Mr. Manash Guha

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)

National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)

Telephone : 0510-2450967
Fax : 0510-2450967
E-mail : Jha@nhai.org
Website : http:\www.nhai.org

Address : PIU Jhansi Office: House No. 610, Prabhayan Building, Behind Central Hotel, Satish Nagar, Civil Lines, Jhansi 284003 (U.P.)
पता : प.का.इ.(झाँसी) कार्यालय मकान संख्या- 610, प्रभायन बिल्डिंग, सेन्ट्रल होटल के पीछे, सतीश नगर, सिविल लाइन्स झाँसी – 284003 (उ.प्र.)

NHAI/12040/1/2007/NOC/BLD/JHS-EW/5364 Dated the 10th December, 2009.

To

The Authorized Signatory,
M/s Madakinee Estate Pvt. Ltd.,
118, First Flore,
Prakash Deep Building,
7, Tolstay Marg,
New Delhi – 110075.

Sub: **NOC for Access way (Entry & Exit) to private property (Ansal Basera City) from service road of NH-25 (Jhansi Bypass Road) at km 98.400.**

Ref: i) Your letter dt. 27th May, 2009.
ii) NHAI, HQ letter No. NHAI/Tech/EW-V/PIU-JHS/PPro/2008/8204 dt. 16th /17th Sept., 09.

Sir,

Please refer to above cited letters. It is to intimated that the permission for Access road to proposed private property (Ansal Basera City) at Ch. 98.400 (LHS) on NH-25 (Jhansi Bypass) has been obtained from Competent Authority subject to following condition.

Encl: Ref (ii).

(Lt. Col. V.A. Singh)
Project Director.

Copy to the: Team Leader M/s Renardet S.A., Jhansi. It is requested to take necessary action regarding median opening at above location as per NHAI, HQ approval letter ref (ii) and submit the necessary report.

Encl: Ref (ii).